



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227591
CG-DL-E-14062021-227591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2168]
No. 2168]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 08 / 2015—2020

विषय : इंजेक्शन रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एपीआई की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2332(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा इंजेक्शन रेमडेसिविर और रेमडेसिविर सक्रिय भेषज घटक (एपीआई) के निर्यात से संबंधित अधिसूचना सं. 01 / 2015—20 दिनांक 11.04.2021 को संशोधित करती है:

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207एए	ईएक्स 293499 ईएक्स 300490	इंजेक्शन रेमडेसिविर और रेमडेसिविर सक्रिय भेषज घटक (एपीआई)	निषिद्ध	प्रतिबंधित

2. एफटीपी/एचबीपी के अध्याय 4 के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार-पत्रों के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शनों/एपीआई के निर्यात हेतु किसी पृथक निर्यात प्राधिकार-पत्र अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड्स के अंतर्गत आने वाले अथवा किसी अन्य एचएस कोड के तहत आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर और रेमडेसिविर सक्रिय भेषज घटक (एपीआई) का निर्यात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया है। अग्रिम प्राधिकार पत्रों के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शनों/एपीआई के निर्यात हेतु किसी पृथक प्राधिकार-पत्र/अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 01/91/180/24/एम-22/ईसी/ई-27724]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 08/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of Injection Remdesivir and Remdesivir API.

S.O. 2332(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby **amends the Notification No. 01/2015-20 dated 11.04.2021** related to export of Injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API):

S. No.	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207AA	Ex 293499 Ex 300490	Injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients(API)	Prohibited	Restricted

2. The export of Remdesivir Injections/API against the Advance Authorizations issued under Chapter 4 of FTP/HBP shall not require a separate export authorisation or permission.

3. Effect of this Notification:

The export of Injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API) falling under the ITC (HS) Codes specified above or falling under any other HS Code has been put under Restricted category with immediate effect. The export of Remdesivir Injections/API against the Advance Authorizations will not require a separate authorisation/ permission.

[F. No. 01/91/180/24/AM-22/EC/E-27724]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.